

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सातवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं० 5(01) 2018-19-क०सं०एवं भाषा/ 4200-4249

दिनांक: 20/8/18

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली.

विषय: हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश ।
महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय-समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है। अतः आवश्यक हो गया है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि 14 सितम्बर, 2018 को "हिन्दी दिवस" के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिये परिचालित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

मधु शर्मा

(मधु बाला शर्मा)

कार्यालयाध्यक्ष (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दिनांक: 20/8/18

फा.सं० 5(01) 2018-19-क०सं०एवं भाषा/ 4250-4266
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली ।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली ।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली-02.
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली ।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली ।
17. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर उपलोड करने के संदर्भ में ।

मधु शर्मा

(मधु बाला शर्मा)

कार्यालयाध्यक्ष (कला, संस्कृति एवं भाषा)

अंशु प्रकाश

ANSHU PRAKASH, I.A.S



मुख्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

Chief Secretary
Government of NCT of Delhi

संदेश

“हिन्दी दिवस”

१४ सितम्बर, २०१८

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की सभी भाषाएं हमारे लिये आदरणीय हैं, लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए राजभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में प्रत्येक वर्ष १४ सितम्बर को मनाये जाने वाले हिन्दी दिवस का विशेष महत्व है। इस दिन भारत की संविधान सभा ने हिन्दी भाषा को संघ की राजभाषा स्वीकार किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष १४ सितम्बर को “हिन्दी दिवस” के रूप में मनाया जाता है।

हिन्दी भाषा हमारी पहचान और परिभाषा है। हिन्दी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रूप में विशेष भूमिका निभाती आ रही है। हमारे विशाल, बहु-आयामी और बहु-भाषी राष्ट्र के नागरिकों को एक मंच पर लाने में, संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आज हिन्दी भाषा इलैक्ट्रॉनिक, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, विज्ञापनों, फिल्मों जैसे विभिन्न संपर्क माध्यमों से प्रतिष्ठा अर्जित करके, लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी है। अब कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिन्दी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में लगातार प्रगति हो रही है।

दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को “हिन्दी दिवस” के अवसर पर उत्साहपूर्वक हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़े का आयोजन करना चाहिए। इस अवसर पर दिल्ली सरकार एवं इसके अधीनस्थ उपक्रमों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेरी अपील है कि अपने दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें तथा अपने सहकर्मियों को भी इस दिशा में प्रेरित तथा प्रोत्साहित करें।

अंशु प्रकाश

(अंशु प्रकाश)

मुख्य सचिव, दिल्ली